

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार।

संख्या: 3710/आब0सहा0/2020-21

दिनांक 24 मार्च, 2021

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 135/XXIII/2020/04(1)/2020 देहरादून दिनांक 22.02.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति व उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर विक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 तथा पत्र संख्या 17704/सात लाई-वी-369/व्यय/2020-21/सा0 निर्देश/विज्ञप्ति/ दे0दून0 तद्दिनांक 24.02.2020 व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के क्रम में वर्ष 2020-21 की शेष अवधि (दिनांक 27.03.2021 से 31.03.2021 तक) के लिए जनपद हरिद्वार की निम्नवर्णित सी0एल0-5सी (देशी शराब) की फुटकर दुकान का पूर्ण/अधिकतम प्राप्त राजस्व के अनुसार पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है जिसके लिए निम्नवत कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
1	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व समय	दिनांक: 26.03.2021 को 12:00 बजे अपराह तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार में
2	आवेदन पत्र परीक्षण का समय	दिनांक: 26.03.2021 को 12:00 बजे अपराह से 13:00 बजे अपराह तक
3	प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रक्रिया का समय	दिनांक: 26.03.2021 को 13:00 बजे अपराह से प्रक्रिया समाप्ति तक
4	पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व के सीलबन्ध ऑफर/प्रस्ताव पर आवेदन प्रस्तुत करने का समय	दिनांक: 26.03.2021 को अपराह 13:15 बजे से अपराह 13:45 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार में
5	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय	दिनांक: 26.03.2021 को अपराह 16:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, रोशनाबाद में

पुनर्व्यवस्थापनार्थ मदिरा की दुकानों का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	कुल निर्धारित राजस्व	शेष अवधि हेतु एम0जी0डी0	अनुज्ञापन शुल्क	धरोहर धनराशि
01	देशी मदिरा	मण्डावली नारसन रोड	304710	301710	3000	7618

मदिरा की दुकानों के सम्बन्ध में अन्य/विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.haridwar.nic.in पर अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से भी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। दुकानों के आवंटन/निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा।

(पवन कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि-

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (प्र०), हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपायुक्त, आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद हरिद्वार को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को एनआईसी की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. सार्वजनिक सूचना को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त संस्करणों में दिनांक 25.03.2021 के अंक में न्यूनतम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बीजेके कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1/2/3 जनपद हरिद्वार को व्यापक प्रचार प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय।

जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।